पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09 / 2017 / 92(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 10/3/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 82(स्वी०) दिनांक 04.03.2025 द्वारा स्वीकृत कुल ₹45,94,44,383.00 (पैंतालीस करोड़ चौरानवें लाख चौवालीस हजार तीन सौ तेरासी रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 82(स्वी०) दिनांक 04.03.2025 द्वारा ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय के भुगतान हेतु ₹6,000.00 (छह हजार रूपये) प्रतिमाह एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के भुगतान हेतु ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से पूर्व वित्तीय वर्षों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹45,94,44,383.00 (पैंतालीस करोड़ चौरानवें लाख चौवालीस हजार तीन सौ तेरासी रूपये) मात्र की राशि **(उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–01 के अनुरूप)** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय तथा ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के पूर्व वित्तीय वर्षों का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹45,94,44,383.00 (पैंतालीस करोड़ चौरानवें लाख चौवालीस हजार तीन सौ तेरासी रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०	जिला	आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3
1	अररिया	24713000.00
2	अरवल	10000000.00
3	औरंगाबाद	10000000.00
4	बांका	10000000.00
5	बेगुसराय	10000000.00
6	भागलपुर	10000000.00
7	भोजपुर	10000000.00

8	बक्सर	10000000.00
9	दरभंगा	10000000.00
10	गया	10000000.00
11	गोपालगंज	10000000.00
12	जमुई	10000000.00
13	जहानाबाद	10000000.00
14	कैमूर	10000000.00
15	कटिहार	10000000.00
16	खगड़िया	10000000.00
17	किशनगंज	10000000.00
18	लखीसराय	10000000.00
19	मधेपुरा	11418000.00
20	मधुबनी	18979100.00
21	मुंगेर	10000000.00
22	मुजफ्फरपुर	10000000.00
23	नालंदा	10000000.00
24	नवादा	10000000.00
25	पश्चिम चंपारण	10000000.00
26	पटना	19000400.00
27	पूर्वी चंपारण	10000000.00
28	पूर्णिया	10000000.00
29	रोहतास	10000000.00
30	सहरसा	10000000.00
31	समस्तीपुर	10000000.00
32	सारण	28264134.00
33	शेखपुरा	10000000.00
34	शिवहर	10000000.00
35	सीतामढ़ी	10000000.00
36	सिवान	37069749.00
37	सुपौल	10000000.00
38	वैशाली	10000000.00
कुल राशि		**459444383.00**

पैंतालीस करोड़ चौरानवें लाख चौवालीस हजार तीन सौ तेरासी रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी की विभिन्न मदों हेतु'' मद के ''विषय शीर्ष 0010.31.04–सहायक अनुदान–वेतन'' इकाई से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980010 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 214 दिनांक 06.03.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जिनका यह दायित्व होगा कि आवंटित राशि को संबंधित संविदा कर्मी ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के उपस्थिति विवरणी के आधार पर सीधे उनके खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे। इस आवंटित राशि से पूर्व के बकाया का भुगतान भी नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम कचहरियों के लिए स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 माह के अन्दर निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017 के पृष्ठ संख्या ....91...../टि० पर दिनांक ....06/03/25... को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

10/3
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–5प/स्था० एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/92(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 10/3/25

प्रतिलिपि :महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–04 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–5प/स्था० एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–09/2017/92(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 10/3/25

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव